

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटपुलनी (जयपुर)

[Handwritten signature]

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016
दिनांक को संरे इजलास सुनाया गया है।

दफतर हो।
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाबा दाखिल
जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फूमल सुमार
है। अतः प्रोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की
अंतिम कार्यवाही की जाने का कोई आश्चित्य प्रतीत नहीं होता
मन्सूख हो गया है तो प्रसंगत प्रकरण में किसी प्रकार की
आवदन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही
में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन
3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष
न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं.
अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च
विवादित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया
किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रोकार सरकार ने उक्त
भू-आवदन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर
प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटि
रेस्पॉन्डेंट्स को भू-आवदन सलाहकार समिति के द्वारा केषि
अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का
हमने प्रोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छया प्रति आदि रिकॉर्ड दर्तावाजात पेश किये।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की
का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में
सम्बन्धित भू-आवदन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण
निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्तित आराजी से
राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित
पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उतवानी छोट एवं अन्य बानम
उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. स्थिल रिट
प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय
(नायब लहसीलदार कोटपुलनी) ने उपस्थित होकर प्रसंगत
होकर लहसीलदार कोटपुलनी की ओर से प्रोकार सरकार
पत्रावली पेश हुयी। उमयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड

विशेष विवरण	आशा विस्तृत रूप से
	<p>बनाम</p> <p>नरेश चौरा & अन्याय</p> <p>172/2005</p>